

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/अ/संशोधन/37/2009/1335


भोपाल, दिनांक 22/10/09

/आदेश/

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/स्था.2/5/पदो./09/884-885, दिनांक 01.08.09 द्वारा निम्न लिखित शिक्षक की पदोन्नति शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर की जाकर पदस्थापना कालम क्रमांक-4 में अंकित संस्था में की गई है। संबंधित से प्राप्त अभ्यावेदन अनुसार उनकी 50 प्रतिशत विकलांगता को दृष्टिगत रखते हुये पदोन्नति उपरांत की गई पदस्थापना में एतद् द्वारा आंशिक संशोधन करते हुये कालम क्रमांक-5 में अंकित संस्था में व्याख्याता के रिक्त पद पर पदस्थापना तत्काल प्रभाव से की जाती है :-

स.क्र.	शिक्षक का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	विषय	व्याख्याता पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापना	नवीन संशोधित पदस्थापना
1	2	3	4	5
1	श्री गिरधर कुमार दुबे, प्र.अ. शा. पूर्व मा. वि. समान जिला रीवा	राजनीति	शा.उ.मा.वि. गढ़ जिला रीवा	शा. उ.मा.वि. क.2 जिला रीवा


- 1/ मूल पदोन्नति आदेश में अंकित शेष शर्तें यथावत रहेगी।
- 2/ पदोन्नत व्याख्याता दिनांक 28.10.09 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति संशोधित पदांकित संस्था में व्याख्याता पद पर देंगे। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर इनकी पदोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।


आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठां. क्रमांक/स्था.2/अ/संशोधन/37/2009/1336
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22/10/09

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय रीवा।
4. कलेक्टर जिला रीवा म.प्र.।
5. जिला कोषालय अधिकारी रीवा म.प्र.।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा म.प्र.।
7. प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. गढ़ जिला रीवा/शा. उ.मा.वि. क.2 जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित- श्री गिरधर कुमार दुबे, प्र.अ. शा. पूर्व मा.वि. समान जिला रीवा की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक स्था.2/अ/32/संशो./09/1337

भोपाल,दिनांक 22/10/09


//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/स्था-2/5/पदो./09/884-885,दिनांक 01.08.09 द्वारा निम्न लिखित शिक्षक की पदोन्नति शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर की जाकर विषयमान से रिक्त पद पर पदस्थापना कालम क्रमांक-4 में अंकित संस्था में की गई हैं। पदोन्नति उपरांत की गई पदस्थापना में एतद् द्वारा आंशिक संशोधन करते हुये निम्नांकित नव पदोन्नत लोक सेवक को कालम क्रमांक-5 अनुसार प्रोफार्मा पदोन्नति (प्रतिनियुक्ति) प्रदान की जाती हैं।

स.क्र.	शिक्षक नाम का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	विषय	व्याख्याता पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापना	नवीन संशोधित पदस्थापना
1.	2.	3.	4.	5.
1	श्री छत्रवीर सिंह राठौर प्र.अ. महर्षिपंतजली संस्थान भोपाल	हिन्दी	शास.उ.मा.वि.बा. बाबई जिला - हौशगाबाद	महर्षिपंतजली संस्थान भोपाल प्रोफार्मा पदोन्नति (प्रतिनियुक्ति)


2/ मूल पदोन्नति आदेश में अंकित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


आयुक्त 22/10/09
लोक शिक्षण म.प्र.
भोपाल,दिनांक 22/10/09

पृष्ठा. क्रमांक स्था.2/अ/32/संशो./09/1338
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक,मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा,विभाग, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय भोपाल।
4. कलेक्टर जिला भोपाल म.प्र.।
5. जिला कोषालय अधिकारी भोपाल म.प्र.।
6. निदेशक, महर्षिपंतजली संस्थान भोपाल म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति लोकसेवक की सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि संबंधित लोकसेवक शिक्षक संवर्ग में सेवारत रहे हैं एवं उनकी पदोन्नति स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत व्याख्याता के पद पर संचालनालय के आदेश दिनांक 01.08.09 द्वारा हुई हैं। वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के लोक सेवक है तथा पदांकित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित लोकसेवको के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
7. जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल।
8. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त 22/10/09
लोक शिक्षण,म.प्र.